न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

दायर दिनांकः 15.05.2024

प्रकरण संख्याः 44 / 24
जीसीएमएस नं. 2024 / 97

उनवान

किशनलाल पुत्र रामभरोसी जाति जाटव नि. निठार तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——वादी

बनाम

1 कुँवरसिंह 2 नवीन कुमार 3 पप्पूराम 4 बृजू पुत्रान रामस्वरूप 5 मन्ती पत्नि रामस्वरूप 6 कुसुम पुत्री रामजीलाल 7 छुट्टन 8 मनोज पुत्रान रामजीलाल 9 रूपन्ति 10 सुमित्रा 11 सरोज पुत्रियान रामजीलाल 12 राजकुमारी पत्नि केदारसिंह 13 रामहंस पुत्र घीसोलीराम जातियान जाटव नि. निठार तह. भुसावर जिला भरतपुर 14 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर राज.।

——प्रतिवादीगण

दावा विभाजन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. 1955

अधिवक्ता :—

1 श्री आजाद बाबू ——वादी
2 श्री खैमसिंह चौधरी ——प्रति.सं. 1 लगा. 5
3 श्री छोटेलाल मीना ——प्रति.सं. 6 लगा. 11

निर्णय दिनांक 14.11.2025

वादी वकील द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 316 रकवा 0.7000, 346 रकवा 0. 5000 हेक्टेयर व आराजी खसरा नम्बर 348 रकवा 0.1600 हेक्टेयर वाके ग्राम निठार तहसील भुसावर जिला भरतपुर मे स्थित है, जिसमे वादी 2/3 हिस्से का काविज काश्तकार एवं खातेदार है। तथा शेष हिस्से पर मुताविक जमावन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 मे दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार है। और उसी अनुसार मौके पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी की खातेदार रूमादेवी पत्नी रामजीलाल का स्वर्गवास हो गया है, जिसके तरके पर उसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 11 काविज व दखील है।

उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत 13 की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त काश्तकारी की अविभाजित आराजी है, जिसका विभाजन अभी तक वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य बाई मीटस एण्ड बाउण्ड नही हुआ है। परन्तु मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की आराजी पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण बहुत ही चतुर चालाक एवं लठैत व्यक्ति है, जो वादी की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाते हुए आराजी मे निहित वादी के हिस्से का पूरा पूरा लाभ वादी को प्राप्त नही होने देते है। और जवरन लटठ व ताकत के बल पर रास्ते के सहारे की भूमिं पर कब्जा करते हुए किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल करते हुए वादी को उसकी हिस्से की आराजी से बेदखल कर महरूम करना चाहते है। जबकि प्रतिवादीगण को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियो को रहन, वय व मुन्तकिल करने का व अच्छी अच्छी व मौके की आराजी पर न्यारानूर कव्जा करने का कोई भी कानूनी अधिकार प्राप्त नही होते है।

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०

यह कि दिनांक 05.05.2024 को वादी ने प्रतिवादीगण ने आराजी के विभाजन वावत कहा, तो प्रतिवादीगण ने विभाजन से मना करते हुए धमकी दी कि हम तो अच्छी अच्छी व मौके की आराजी को अपने कब्जे में लेकर किसी दीगर व्यक्तियो के लिए रहन, वय व मुन्तकिल कर देगे, और तुझे अच्छी व मौके की आराजी से बेदखल कर महरूम कर देगे। और तुझे आराजी पर अब शान्ति पूर्वक काश्त भी नही करने देगे। अतः वादी वादग्रस्त आराजी का विभाजन बाई मीटस एण्ड बाउण्ड करा पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा निवेदन किया गया है कि विवादित आराजी का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द फरमाया जावे।

हमने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से की गई। नोटिस की ताईद में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 की ओर से वकालतनामा व जवाब दावा श्री खैमसिंह चौधरी एड. द्वारा पेश किया गया तथा प्रतिवादीगण संख्या 6 लगायत 11 की ओर से वकालतनामा व जवाब श्री छोटेलाल मीना एड. द्वारा पेश किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 12 व 13 बाद तामील भी उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई।

हमने बहस पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का भली भांति अवलोकन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने बाबत सहमति जताई गई।

उक्त के आधार पर हम दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर कुरेजात रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, भुसावर को लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार, भुसावर द्वारा उनके पत्रांक/भू.अ./2025/6562 दिनांक 27.10.2025 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाया गया।

हमने बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं इसमें प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड तथा विभाजन प्रस्ताव का भली भांति अध्ययन किया गया। उक्त के आधार पर हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित पाते है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भुसावर को आदेशित किया जाता है कि आपके द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव क्रमांक/भू.अ./2025/6562 दिनांक 27.10.2025 के अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य खातेदारी की जावे तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)